फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री मुस्ताक उर्फ मुस्ताक हुसैन बनाम विपक्षी :– श्री माधुलाल वगैरह
किस्म मुकदमा – 212 रा.का.अ. पत्रावली संख्या : 140/15
जीसीएमएस : 2015/00008

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	विविध

दिनांक : 10.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर एकतरफा बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि ग्राम सनवाड की वादग्रस्त आराजी नम्बर 4997 में से विपक्षी संख्या 1 से 4 के पिता मोडीराम पिता मगना कुम्हार ने अपने जीवनकाल में दिनांक 27.07.1999 को उक्त भूमि में अपने 6/8 हिस्से में से 1/16 हिस्से अर्थात 1500 वर्गफिट एवं दिनांक 06.05.1999 को अपने 6/8 हिस्सा में से 1/8 हिस्सा रोड़ के मध्य से 80 फिट छोड़ते हुए जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मुझ प्रार्थी को विक्रय कर मौके पर भौतिक कब्जा सिपुर्द कर दिया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 4 के पिता से क्रय करना बताया है। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से उक्त भूमि विरासत से वारिसान के नाम दर्ज होकर सहमति विभाजन हो चुका है। सहमति विभाजन से अन्य खातेदारो के नाम दर्ज हो गई। उसके पश्चात प्रार्थी द्वारा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के खातेदार विपक्षी संख्या 5 से 8 है। खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होकर विपक्षीगण के पक्ष में साबित होता है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी। ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:13:43 IST
Reason: SelfAttested